



2026:AHC-LKO:2233-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 144 सन 2020

भैया राम मिश्रा

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ गृह मंत्रालय नई दिल्ली एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राम सेवक त्रिपाठी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सेवक त्रिपाठी को तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.बी. पांडे को प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री देवऋषि कुमार की सहायता से सुना।
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत यह विशेष अपील रिट याचिका संख्या 5768 (एस/एस) 1999 में दिनांक 25.09.2013 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. रिट याचिका को खारिज करते हुए, रिट न्यायालय ने दिनांक 19.12.1985 के निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका को 1999 में दायर करने में हुये विलंब पर ध्यान दिया था। आक्षेपित आदेश में, प्रतिवादियों के अधिवक्ता का यह कथन दर्ज किया गया है कि निष्कासन आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इसके अलावा, रिट न्यायालय ने मामले की योग्यता पर भी विचार किया और पाया कि इस प्रकार की सजा देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और भ्रष्टाचार का आरोप गंभीर था। अंततः, रिट याचिका खारिज कर दी गई है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें 14 साल का विलंब हुआ था। यह अपील 17.3.2020 को दायर की गई थी, यानी दिनांक 25.9.2013 के आक्षेपित निर्णय के लगभग 7 साल बाद।

4. विलंब का कारण पूछे जाने पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आग लगने की दुर्घटना में अपीलकर्ता का सारा सामान जल गया था। उन्होंने 18.05.2012 की घटना के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का हवाला दिया, हालांकि, रिट याचिका पर ही 2013 में निर्णय हो चुका था, इसलिए उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट और 18.05.2012 की घटना का, अपील दाखिल करने में हुये विलंब से विशेष रूप से कोई संबंध नहीं है।

5. न केवल रिट याचिका अत्यधिक विलंबित थी, बल्कि अपील भी अत्यधिक विलंबित है, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपील दाखिल करने में हुये विलंब के लिए दिया गया स्पष्टीकरण हमें स्वीकार्य नहीं लगता। हम अपील दाखिल करने में हुये विलंब की माफी के लिए आवेदन को अस्वीकार करते हैं। परिणामस्वरूप, अपील भी खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 12, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।